VIII मुद्रा प्रबंधन

रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति को प्रदर्शित करते हुए संचलन में नए नोटों की अधिक आपूर्ति के साथ-साथ अत्यधिक मात्रा में गंदे नोटों को संचलन से वापस लिया गया। नोटों की छपाई के व्यय में वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण नए नोटों की आपूर्ति अधिक मात्रा में किया जाना था। 2009-10 के दौरान पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या पिछले वर्ष की संख्या के बराबर थी। जाली नोटों की रोकथाम एवं उनका पता लगाने की प्रणाली को निरंतर आधार पर मज़बूत किया जा रहा है जिनमें करेंसी नोटों की सुरक्षात्मक विशेषताओं को उन्नत करना, जन जागरूकता बढ़ाना, जाली नोटों की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्थाओं को सरलीकृत करना एवं बैंकों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना शामिल हैं।

VIII.1 रिज़र्व बैंक के प्रारंभ से ही बैंक नोटों का निर्गम एवं प्रबंधन कार्य उसका एक मूलभूत एवं सार्वजनिक रूप से अधिक ध्यानाकर्षक कार्य रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण भुगतान की गैर-नकदी विधा में हुई प्रगति के बावजूद अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोत्तरी के साथ मुद्रा की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। नए नोटों के वितरण के साथ-साथ गंदे नोटों को हटाना एवं उनको नष्ट करना रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन परिचालन का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। जाली नोटों की बढ़ती जोखिम को देखते हुए, मुद्रा में जनता का विश्वास बनाए रखने का महत्व काफी बढ़ गया है।

मुद्रा परिचालन

VIII.2 जनता को अच्छी गुणवत्तावाले बैंक नोट उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने कई पहलें की हैं जिनमें नए बैंक नोटों की नियमित आपूर्ति, गंदे बैंक नोटों का शीघ्र निपटान तथा नकदी प्रोसेसिंग संबंधी कार्यकलापों का व्यापक मशीनीकरण शामिल हैं। रिज़र्व बैंक अपनी 'स्वच्छ नोट नीति' के अंग के रूप में बैंक नोटों की आयु बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों का परीक्षण भी करता रहा है। जाली नोटों के खतरों की रोकथाम के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि (i) प्रचार अभियान के माध्यम से ज़ागरूकता बढ़ाना, (ii) सुरक्षात्मक विशेषताओं में वृद्धि करना, और (iii) जाली नोटों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।

मुद्रा प्रबंधन का बुनियादी ढांचा

VIII.3 बैंक के नोट निर्गम तथा मुद्रा प्रबंधन का कार्य इसके 18 निर्गम कार्यालयों, लखनऊ स्थित एक उप कार्यालय, कोच्ची स्थित एक मुद्रा तिजोरी (करेंसी चेस्ट) एवं मुद्रा तिजोरियों (सीसी) तथा छोटे सिक्कों के डिपो (एससीडी) के विस्तृत नेटवर्क द्वारा किया जाता है। करेंसी चेस्ट की संख्या दिसंबर 2008 अंत के 4,299 से बढ़कर, दिसंबर 2009 में 4,300 हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या 4,060 से बढ़कर 4,078 हो गई। उप राजकोष कार्यालय में स्थित मुद्रा तिजोरियों की संख्या को कम करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 2009-10 में उनकी संख्या घटाकर 11 की गई। करेंसी चेस्टों में सबसे बड़ा हिस्सा (71.0 प्रतिशत) भारतीय स्टेट बैंक का बना रहा, जिसके पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों (25.6 प्रतिशत) एवं निजी क्षेत्र / विदेशी बैंकों (2.6 प्रतिशत) का क्रम था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक प्रत्येक के पास एक-एक करेंसी चेस्ट है।

VIII.4 बैंक नोटों और सिक्कों का वितरण 64,000 से अधिक बैंक शाखाओं और 43,000 से अधिक एटीएम के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, बैंक सिक्का वेंडिंग मशीनों के माध्यम से सिक्के वितरित करते हैं। मुद्रा प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपने कार्यालयों में 54 उच्च क्षमतायुक्त मुद्रा सत्यापन एवं संसाधन प्रणाली (सीवीपीएस), 28 करेंसी डिसइंटिग्रेशन एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम (सीडीबीएस), 40 डेस्कटॉप नोट सॉर्टिंग मशीनें लगावाई हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने 5 और सीवीपीएस मशीनें खरीदने

एवं 5 सीडीबीएस की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। वाणिज्य बैंकों ने नोट सॉर्टिंग मशीनें (एनएसएम), डेस्कटॉप नोट सॉर्टर्स, नोट काउंटिंग मशीनें, एटीएम, कैश रिसाइक्लर्स, तथा नोट डिटेक्टर लगवा लिए हैं। करेंसी चेस्टों तथा संवेदनशील एवं उच्च कारोबार वाली शाखाओं में ये मशीनें लगवाने के बाद बैंकों ने समयबद्ध तरीके से इनकी संख्या बढ़ाने की शुरुआत की है।

संचलन में नोट व सिक्के

संचलन में बैंक नोट

VIII.5 2009-10 के दौरान संचलन में स्थित बैंक नोटों के मूल्य एवं मात्रा दोनों में वृद्धि हुई (सारणी VIII.1.)। 10 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों में वृद्धि की दर मूल्य तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से उच्चतम थी।

संचलन में सिक्के

VIII.6 2009-10 के दौरान संचलन में स्थित छोटे सिक्कों सहित सिक्कों की कुल मात्रा में पिछले वर्ष के 4.7 प्रतिशत की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2009-10 के दौरान मूल्य की दृष्टि से यह वृद्धि 11.2 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पहले यह 9.6 प्रतिशत थी (सारणी VIII.2)। वर्ष के अंत में कुल सिक्कों के संचलन में 10 रुपए के नए द्विधात्विक सिक्कों के संचलन का अनुपात नगण्य था।

सारणी VIII.1: संचलन में बैंक नोट

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में) मार्च के अंत में			मूल्य (करोड़ रुपए में) मार्च के अंत में		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
₹2 & ₹5	7,405 (16.7)	7,865 (16.0)	7,953 (14.1)	2,747 (0.5)	2,936 (0.4)	2,930 (0.4)
₹10	9,333 (21.1)	12,222 (25.0)	18,536 (32.8)	9,333 (1.6)	12,222 (1.8)	18,536 (2.4)
₹20	2,054 (4.6)	2,200 (4.5)	2,341 (4.1)	4,108 (0.7)	4,399 (0.6)	4,681 (0.6)
₹50	5,302 (12.0)	4,888 (10.0)	4,211 (7.4)	26,508 (4.6)	24,440 (3.6)	21,057 (2.7)
₹100	13,457 (30.4)	13,702 (28.0)	13,836 (24.5)	1,34,575 (23.1)	1,37,028 (20.1)	1,38,364 (17.6)
₹500	5,262 (12.0)	6,166 (12.6)	7,290 (12.9)	2,63,108 (45.2)	3,08,304 (45.3)	3,64,479 (46.2)
₹1000	1,412 (3.2)	1,918 (3.9)	2,383 (4.2)	1,41,219 (24.3)	1,91,784 (28.2)	2,38,252 (30.2)
कुल	**44,225**	**48,963**	**56,549**	**5,81,598**	**6,81,133**	**7,88,299**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

सारणी VIII.2: संचलन में सिक्के

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में) मार्च के अंत में			मूल्य (करोड़ रुपए में) मार्च के अंत में		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	54,735 (57.3)	54,736 (54.7)	54,738 (52.0)	1,455 (16.0)	1,455 (14.6)	1,455 (13.1)
₹1	24,721 (25.9)	26,975 (27.0)	29,461 (28.0)	2,472 (27.2)	2,696 (27.1)	2,964 (26.8)
₹2	9,535 (10.0)	11,179 (11.2)	13,198 (12.5)	1,907 (21.0)	2,236 (22.4)	2,640 (23.8)
₹5	6,500 (6.8)	7,141 (7.1)	7,760 (7.4)	3,250 (35.8)	3,570 (35.9)	3,880 (35.0)
₹10	–	–	149 (0.1)	–	–	149 (1.3)
कुल	**95,491**	**1,00,013**	**1,05,306**	**9,084**	**9,957**	**11,070**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्वच्छ नोट नीति

VIII.7 रिज़र्व बैंक ने अच्छी गुणवत्तावाले बैंक नोटों को संचलन में लाने तथा अयोग्य / गंदे नोटों को संचलन से हटाने तथा उनको नष्ट करने के लिए 'स्वच्छ नोट नीति' अपनाई है। इसके परिणास्वरूप, 2008-09 के 13,809 मिलियन नोटों की तुलना में 2009-10 के दौरान 14,987 मिलियन नए नोट जारी किए गए। तथापि, वर्ष के दौरान 13,072 मिलियन गंदे बैंक नोटों को संचलन से हटाया गया एवं निपटाया गया/नष्ट किया गया (2008-09 में 11,962 मिलियन नग)।

नए बैंक नोटों तथा सिक्कों का मांगपत्र एवं आपूर्ति

VIII.8 उभरती अर्थव्यवस्था में बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक, बैंक नोट के उत्पादन / आपूर्ति हेतु अपनी मांग में वृद्धि करता रहा है (सारणी VIII.3)। 2009-10 (अप्रैल-मार्च) में लगातार चौथे वर्ष प्रिंटिंग प्रेस ने मांगपत्र के अनुसार बैंक नोटों की आपूर्ति की।

VIII.9 भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) ने 2008-09 (जुलाई-जून) के 8,501 मिलियन नग बैंक नोटों की तुलना में 2009-10 (जुलाई-जून) में 9,517 मिलियन नग बैंक नोंटों की आपूर्ति की। सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.(एसपीएमसीआइएल) द्वारा 2008-09 (जुलाई-जून) के 5,160 मिलियन नोटों की तुलना में 2009-10 (जुलाई-जून) में 7,517 मिलियन नोट मुद्रित किए

सारणी VIII.3: मांगपत्रित एवं आपूर्ति किए गए बैंक नोट

(मात्रा मिलियन नगों में)

मूल्यवर्ग	2008-09		2009-10		2010-11
	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र
1	2	3	4	5	6
₹5	250	250	1,000	548	—
₹10	5,000	5,030	5,000	5,060	5,000
₹20	500	500	800	820	1,500
₹50	1,000	1,008	1,000	1,004	2,000
₹100	4,200	4,215	4,000	3,969	4,300
₹500	3,500	3,459	4,000	4,008	4,000
₹1000	800	763	1,000	1,007	1,000
कुल	**15,250**	**15,225**	**16,800**	**16,416**	**17,800**

गए। जहां तक सिक्कों का संबंध है, 2009-10 के दौरान मिंट ने पहली बार मांगपत्र के अनुसार सिक्कों की पूर्ण आपूर्ति की (सारणी VIII.4)।

गंदे बैंक नोटों का निपटान

VIII.10 वर्ष 2009-10 के दौरान गंदे बैंक नोटों के 13,072 मिलियन नगों (संचलन के 23.1 प्रतिशत नोट) का प्रसंस्करण करके उन्हें संचलन से हटाया गया (सारणी VIII.5)। कुल निपटान में से, लगभग 53.6 प्रतिशत नोटों को 54 सीवीपीएस के माध्यम से प्रसंस्कृत किया गया और शेष बैंक नोटों का निपटान डाइनेमिक वर्किंग मॉडल के अंतर्गत किया गया।

मुद्रा वितरण प्रणाली तथा प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय दल

VIII.11 करेंसी नोटों के भंडारण एवं वितरण की प्रणाली तथा प्रक्रिया की अखंडता एवं कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा गठित मुद्रा प्रबंधन प्रणाली तथा प्रकिया पर उच्च स्तरीय दल (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) ने अगस्त 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दल ने मुद्रा प्रबंधन में आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रोद्योगिकी के व्यापक उपयोग की जरूरत पर बल दिया। दल ने जाली नोटों का पता लगाने एवं संचलन में अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों को बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बारे में विभिन्न उपायों का सुझाव दिया। उनके द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार जनता को केवल स्वच्छ तथा असली नोटों की आपूर्ति करना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे नोट सॉर्टिंग मशीनों का उपयोग करें। दूसरी ओर, रिज़र्व बैंक ऐसी मशीनों के लिए मानदंड एवं मानक स्थापित करें। मात्रात्मक किफायत का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंकों को नकद प्रसंस्करण केंद्रों में उच्च गति तथा उच्च क्षमतावाली मशीनें लगानी चाहिए। करेंसी चेस्टों की संख्या को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, चेस्टों की धारण क्षमता निर्धारित की जानी चाहिए। सुरक्षा बढ़ाने तथा चोरी को रोकने के लिए गंदे नोटों को श्रिंक-रैपिंग प्रणाली से लपेटा जाना चाहिए।

सारणी VIII.5: गंदे नोटों का निपटान एवं नए बैंक नोटों की आपूर्ति

(मात्रा मिलियन नगों में)

मूल्यवर्ग	2007-08		2008-09		2009-10	
	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
₹1000	17	633	39	664	78	865
₹500	444	1,756	735	2,611	1,247	3,513
₹100	3,727	4,015	3,690	4,277	4,307	3,935
₹50	2,172	1,522	2,403	1,042	2,400	791
₹20	834	728	1,003	605	790	467
₹10	3,030	4,580	3,700	4,607	3,832	4,975
₹5 तक	472	478	392	3	418	441
कुल	**10,969**	**13,742**	**11,962**	**13,809**	**13,072**	**14,987**

सारणी VIII.4: सिक्कों का मांगपत्र एवं आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)					मूल्य (करोड़ रुपए में)			
	2008-09		2009-10		2010-11	2008-09		2009-10	
	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50 पैसे	400	153	200	100	70	20	8	10	5
₹1	2,500	2,110	3,000	2,918	2,600	250	211	300	292
₹2	1,800	1,617	2,000	2,284	1,700	360	334	400	457
₹5	1,200	335	800	778	1,300	600	168	400	389
₹10	0	80	100	205	1,000	0	80	100	205
कुल	**5,900**	**4,295**	**6,100**	**6,285**	**6,670**	**1,230**	**801**	**1,210**	**1,348**

संचलन में स्थित बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार हेतु किए गए अन्य उपाय

VIII.12 दल की सिफारिशों के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत 19 नवंबर 2009 को सभी वाणिज्य बैंकों को निदेश जारी किया कि वे जनता को केवल ऐसे नोट (उच्च मूल्यवर्ग वाले) जारी करें जो नोट सॉर्टिंग मशीनों द्वारा उनकी असलियत एवं योग्यता के लिए पूर्व संसाधित किए गए हों। साथ ही बैंकों को यह भी निदेश दिया गया है कि सभी शाखाओं में नोटों के अधिप्रमाणन / असलियत तथा योग्यता की जांच मशीनों द्वारा विधिवत जांच की जाए; इसके लिए विशिष्ट मापदंड यह है कि जिन शाखाओं की औसत दैनिक नकद प्राप्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक है वे इस इस अपेक्षा का पालन 1 अप्रैल 2010 तक और जिनकी 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है वे इसे 1 अप्रैल 2011 तक पूरा करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे शेष शाखाओं के लिए इन निर्देशों के अनुपालन संबंधी एक रूपरेखा तैयार करें। रिज़र्व बैंक ने नोटों की योग्यता के अनुसार सॉर्टिंग तथा अधिप्रमाणन के संबंध में मापदंड (पैरामीटर) भी जारी किए हैं। बैंक केवल उन मशीनों का प्रयोग करें जो इन मापदंडों को पूरा करती हों।

VIII.13 सरकार और रिज़र्व बैंक मिलकर करेंसी नोटों की आयु, विशेष रूप से छोटे मूल्यवर्ग के नोट जिनकी आयु बहुत छोटी होती है, को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। कई देशों ने अपने बैंक नोटों की आयु बढ़ाने के लिए प्लास्टिक नोटों का सहारा लिया है। तथापि, प्लास्टिक नोटों के प्रयोग के संबंध में कुछ आशंकाएं हैं। रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ परामर्श करके, वर्ष 2010-11 में 10 रुपए मूल्यवर्ग के प्लास्टिक नोटों का एक क्षेत्र परीक्षण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है ताकि इस संबंध में महत्वपूर्ण सबक मिल सके।

जाली बैंक नोट

VIII.14 वर्ष के दौरान पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या 2008-09 की संख्या के बराबर थी। तथापि, 2008-09 के दौरान पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या में भारी वृद्धि हुई (सारणी VIII.6)। पता लगाए गए कुल 401 हजार जाली नोटों में से 86.9 प्रतिशत जाली नोट बैंक शाखाओं द्वारा पता लगाए गए थे जोकि बैंक शाखाओं में नोट सॉर्टिंग मशीनों के बढ़ते प्रयोग के परिणाम को दर्शाता है।

सारणी VIII.6: पता लगाए गए जाली नोट

वर्ष	भा.रि.बैंक में पता लगाए गए (नोटों की संख्या)	अन्य बैंकों में पता लगाए गए (नोटों की संख्या)	कुल (नोटों की संख्या)
1	2	3	4
2006-07	59,049	45,695	104,743
	(56.4)	(43.6)	
2007-08	62,134	133,677	195,811
	(31.7)	(68.3)	
2008-09	55,830	342,281	398,111
	(14.0)	(86.0)	
2009-10	52,620	348,856	401,476
	(13.1)	(86.9)	

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में से हिस्सा दर्शाते हैं।

VIII.15 रिज़र्व बैंक जाली बैंक नोटों के खतरे से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) दायर करने संबंधी कानूनी व्यवस्था जाली नोटों का पता लगाने एवं रिपोर्ट करने में व्यवधान डाल रही है। उच्च स्तरीय दल (एचएलजी) ने इन नियमों को सरल बनाने की सिफारिश की है ताकि निरपराध जनता को कानूनी व्यवस्था से कोई तकलीफ न उठानी पड़े (बॉक्स VIII.1)।

ग्राहक सेवा

बैंक नोटों का विनिमय - नोट वापसी नियमावली में संशोधन

VIII.16 गंदे तथा कटे-फटे / विदीर्ण नोटों के विनिमय से संबधित नोट वापसी नियमावली को सरल बनाने की दृष्टि से नोट वापसी नियमावली, 2009 संसद के अनुमोदन के बाद भारत के राजपत्र में अधिसूचित / प्रकाशित की गई और यह 4 अगस्त 2009 से प्रभावी हो गई है। नई नोट वापसी नियमावली, 2009 समझने तथा लागू करने में सरल है और इसमें व्यक्तिनिष्ठता के लिए कम गुंजाइश है। पुस्तिका में गंदे नोटों की स्वीकृति, अधिनिर्णय एवं अभिलेख के रखरखाव के संबंध में शाखाओं द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया भी दी गई है। 2009-10 (अप्रैल-मार्च) के दौरान रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में अधिनिर्णीत बैंक नोटों की संख्या 24.3 मिलियन थी जबकि करेंसी चेस्टों में 5.7 मिलियन नोटों का अधिनिर्णय किया गया। नागरिकों के अधिकार-पत्र को अद्यतन किया गया है और अप्रैल 2009 में इसे आरबीआइ वेबसाइट पर डाला गया है। इसमें गंदे तथा कटे-फटे नोटों के सार्वजनिक काउंटर पर विनिमय, इन सेवाओं की प्रक्रिया, लागत तथा इन सेवाओं का लाभ उठाने में लगनेवाला समय एवं शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

बॉक्स VIII.1
जाली करेंसी से निपटने की प्रक्रिया

जाली भारतीय करेंसी नोटों का मुद्रण करना और / अथवा उनका परिचालन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए से 489 ई के तहत एक अपराध है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि यदि वह करेंसी की जालसाजी सहित किसी अपराध के किए जाने अथवा ऐसा अपराध करने की नीयत रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी रखता हो, तो वह उसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को देगा। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे पता लगाए ऐसे सभी नोटों को ज़ब्त करें और कानून के अनुसार एफआइआर दायर करने के लिए पुलिस को भेज दें। रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक बैंक को यह निर्देश दिया है कि वे जाली नोटों से संबंधित कार्य की देखरेख के लिए अपने मुख्य कार्यालय में एक जाली (नकली)नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना करें।

बैंक/राजकोषागार अपने ग्राहकों से प्राप्त नोटों की असलियत को निर्धारित करने के लिए सुरक्षात्मक विशेषताओं की जांच करते हैं। जांच करने पर यदि बैंक नोट के जाली होने की आशंका हो, तो उसपर ''जाली बैंक नोट'' की मुहर लगाई जाती है और प्रस्तुतकर्ता की उपस्थिति में नोट को ज़ब्त किया जाता है। प्रस्तुतकर्ता को उसकी रसीद दी जाती है। रसीद का अधिप्रमाणन कैशियर एवं प्रस्तुतकर्ता द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में भी रसीद जारी की जाती है जब प्रस्तुतकर्ता रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं होता। ज़ब्त नोटों को एफआइआर दायर करके छानबीन के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को भिजवा दिया जाता है। संबंधित विवरण जैसे कि प्रस्तुतकर्ता का नाम, पता एवं प्रश्नगत नोट उनके कब्ज़े में कैसे आया इस बारे में उनका बयान भी पुलिस प्रधिकारियों को भेजा जाता है। प्राप्त जाली नोट के हर मामले में एफआइआर दायर किया जाना अपेक्षित है चाहे नोटों की संख्या कितनी भी हो तथा प्रस्तुतकर्ता कोई भी हो।

नकली नोटों की बढ़ती घटनाओं के कारण, व्यक्तियों के पास जाने-अनजाने जाली नोट आ सकता है और वह अनजाने में बैंक अथवा कारोबार प्रतिष्ठान को उसे प्रस्तुत कर उसके संचलन का वाहक बन सकता है। वर्तमान में ऐसे सभी मामलों में एफआइआर दायर करना अपेक्षित है जिसके कारण जन साधारण एवं बैंक कर्मियों के लिए यह एक समस्या हो सकती है। एफआइआर दायर करने की आवश्यकता के कारण ऐसे मामले पुलिस/आरबीआई से छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। रिज़र्व बैंक द्वारा ''मुद्रा वितरण की प्रणाली तथा प्रक्रिया'' पर गठित उच्चस्तरीय दल, जिसने जाली नोटों की समस्या की जांच की, ने अगस्त 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दल की सिफारिश के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के कब्ज़े में अनजाने में पांच नग तक जाली नोट हो तो वह उन्हें बैंक काउंटर पर प्रस्तुत कर सकता है:

(क) बैंकों को ऐसे नोटों को ज़ब्त करना चाहिए और वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतकर्ता को इसकी रसीद देनी चाहिए।

(ख) बैंकों को प्रस्तुतकर्ता से अनुमोदित आइडी दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए (ग्राहक के मामले में बैंक के पास पहले ही आवश्यक दस्तावेज होंगे, गैर ग्राहक के मामले में अनुमोदित आइडी दस्तावेज अथवा फिंगर प्रिंट ले लिए जाएं)।

(ग) बैंक ऐसे उदाहरणों को एफआइयू - आइएनडी/आरबीआइ को प्रस्तुत जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) में शामिल करें। जाली नोट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाएं।

(घ) ऐसे मामलों में बैंक को एफआइआर दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने नियम/कोड में उपयुक्त संशोधन के लिए सरकार के साथ चर्चा शुरू की है। वर्ष 2010 में नए / अलग डिजाइनवाले एवं नए/अद्यतन सुरक्षात्मक विशेषताओं से युक्त नोटों को लाने के लिए बैंक ने सरकार के साथ काम करना जारी रखा है। अन्य चल रहे कार्यक्रमों में शामिल हैं, पुरानी सिरीज के नोटों की व्यवधानरहित तरीके से वापसी, प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया/ पोस्टर के माध्यम से जन- जागृति कार्यक्रम, कैश हैंडलिंग का प्रशिक्षण, विभिन्न कानून लागू करनेवाली /अन्वेषण एजेंसियों के साथ समन्वय, तथा बैंकों में प्रशासनिक/अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण।

बैंक नोटों के उत्पादन के लिए कागज, स्याही एवं अन्य कच्चे माल का स्वदेशीकरण

VIII.17 बैंक नोटों के स्वदेशी उत्पादन के उद्देश्य से मैसूर में बैंक नोट पेपरमिल की आधारशिला स्थापित रखी गई, जिसमें बीआरबीएनएमपीएल तथा एसपीएमसीआइएल के बीच 50:50 की शेयरधारिता है। 2012 तक पहले चरण में इसकी स्थापित क्षमता 6000 मैट्रिक टन (एमटी) होगी तथा अगले वर्ष के आसपास इसकी क्षमता बढ़ाकर 12000 मैट्रिक टन कर दी जाएगी । पेपर मिल की स्थापना करते समय कागज के संबंध में आत्मनिर्भरता, लागत की बचत, रणनीतिगत रुख और सुरक्षा आदि कारकों पर मुख्य रूप से विचार किया गया।

नोटों के मुद्रण एवं संवितरण पर व्यय

VIII.18 2009-10 (जुलाई-जून) में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रभार (नोट फार्म में) पर किया गया व्यय 691 करोड़ रुपए (33.5 प्रतिशत) से बढ़कर 2,754 करोड़ रुपए हो गया (चार्ट VIII.1)। सिक्योरिटी प्रिंटिंग पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से 2009-10 (जुलाई-जून) में बैंक नोटों की खरीद में हुई 24.7 प्रतिशत की वृद्धि और

चार्ट VIII.1: सिक्यूरिटी प्रिंटिंग की लागत

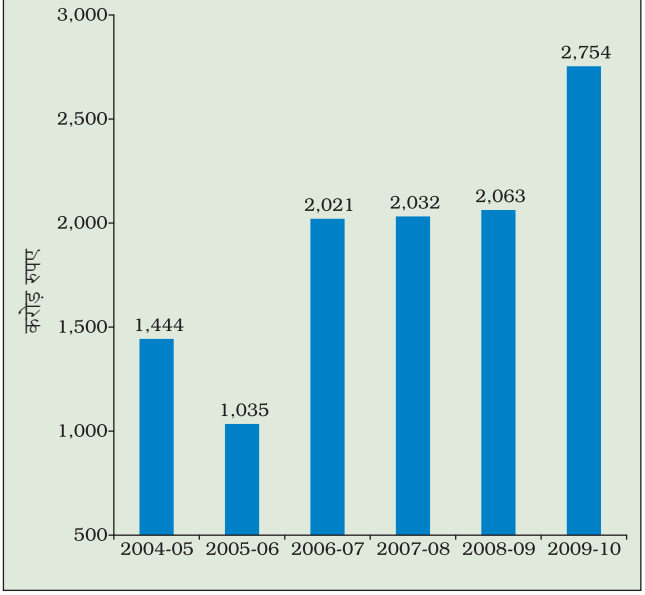

अंशतः विभिन्न मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के मूल्य में सामान्य वृद्धि (3 से 11 प्रतिशत) के कारण हुई।

VIII.19 खजानों के प्रेषण पर व्यय 2008-09 के 32 करोड़ रुपए के मुकाबले 2009-10 (जुलाई- जून) में बढ़कर 37 करोड़ रुपए हो गया, जोकि मुख्य रूप से मांग में वृद्धि तथा छठे वेतन आयोग के बाद पुलिस सुरक्षा/रक्षा/राजकोष के मार्गरक्षण के लिए नियोजित अन्य बलों के वेतन में हुए संशोधन के कारण हुआ।

VIII.20 देश भर में अच्छी गुणवत्तावाले बैंक नोटों तथा सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति करना रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन परिचालन का मुख्य फोकस बना रहेगा। आनेवाले वर्षों में बैंकों के करेंसी परिचालनों की कुशलता को बढ़ाना मुख्य फोकस होगा और प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसकी कुंजी होगी। देश भर में नकद प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) की स्थापना तथा प्रचालन-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था से स्वच्छ तथा अच्छी गुणवता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। रिज़र्व बैंक बैंक नोटों में सुरक्षात्मक विशेषताओं को और सुदृढ़ करने एवं असली बैंक नोटों की सुरक्षात्मक विशेषताओं के बारे में जनता को शिक्षित करने का प्रयास भी जारी रखेगा ताकि जाली नोटों से उत्पन्न जोखिम को कम किया जा सके।

VIII.21 मुद्रा प्रबंधन के अन्य क्षेत्रों में, विशेष तौर पर कम मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की आयु में वृद्धि के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाने, सख्त गुणवत्ता नियम/मानकों को पूरा करनेवाले बैंक-नोटों का मुद्रण सुनिश्चित करने, बैंक-नोट एवं सिक्कों को पुनःचक्रित करने सहित बैंक-नोटों एवं सिक्कों को हैंडल करने की प्रथाओं की समीक्षा करने तथा एटीएम के माध्यम से मुद्रा जारी करने के क्षेत्र में की गई पहलों पर भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी।